मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र./2903/2023/डी-16 **भोपाल, दिनांक** 03/11/2023

प्रति,

1. समस्त उप श्रम आयुक्त, म.प्र.
2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र.
3. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक मध्यप्रदेश।

विषयः- **लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल** (https://lcms.mponline.gov.in) **पर विभागीय कार्यालयों द्वारा प्रकरणों को दर्ज करने के संबंध में दिशा-निर्देश।**

--00--

जैसा कि विदित है कि श्रम विभाग हेतु एम.पी.ऑनलाइन द्वारा लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल तैयार किया गया है जिसे परीक्षण स्तर पर प्रारंभ किया जा रहा है।

उक्त पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार कुल 23 सेवायें प्रारंभ की जा रही हैं जिनके अंतर्गत प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पोर्टल के माध्यम से दर्ज किये जाकर उनके समस्त प्रक्रिया तथा कार्यवाही संबंधित कार्यालय/अधिकारी द्वारा ऑनलाइन संपादित की जायेगी। इस संबंध में दिनांक 01.11.2023 को आयोजित विभागीय समीक्षा वी.सी. में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

समस्त कार्यालयों को वर्तमान में निम्न प्रक्रिया/कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ करना है:-

(1) क्षेत्रीय श्रम कार्यालयों तथा श्रम एवं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुख्यालय में आवेदकों की ओर से पोर्टल पर प्रारंभ सेवाओं में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन संबंधित कार्यालयों द्वारा पोर्टल पर दर्ज किये जायेंगे तथा कार्यालय स्तर पर होने वाली प्रक्रिया तथा कार्यवाही पोर्टल पर प्रारंभ की जावेगी।

(2) कार्यालय में उपलब्ध डेटा इंट्री ऑपरेटरर्स के माध्यम से कार्यालयों में पूर्व से लंबितम/प्रचलित प्रकरणों को भी उक्त पोर्टल पर दर्ज किया जाना तत्काल प्रारंभ किया जावेगा। प्रारंभ में जिन सेवाओं के अंतर्गत अल्प संख्या में प्रकरण उपलब्ध हैं, उन्हें दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी तथा इसी क्रम में अन्य प्रकरण दर्ज किये जावेंगे। इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर/ लिपिक/श्रम निरीक्षक को आदेशित करें।

निरंतर..02

(3) जिले के समस्त संभागीय मुख्यालय एवं औद्योगिक क्षेत्र वाले जिलों (जैसे- मालनपुर (भिंड), मंडीदीप (रायसेन), पीथमपुर (धार), देवास, छिंदवाड़ा, सतना, सिंगरौली, कटनी, खरगोन, रतलाम, मंदसौर) के पुराने प्रकरणों को पोर्टल पर ऑनलाइन करने के लिए एम.पी.ऑनलाइन सहमत है। यह कार्य सशुल्क किया जाएगा। इसके लिए एम.पी.ऑनलाइन के जिला समन्वयक से संपर्क करें:-

श्रमिक द्वारा दायर मूल प्रकरण	रूपए 25/-
श्रमिक द्वारा दायर अपील	रूपए 50/-
नियोक्ता द्वारा दायर प्रकरण	रूपए 100/-

समस्त पुराने/प्रचलित प्रकरणों प्रकरणों का **01.12.2023** तक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाए।

(4) एम.पी.ऑनलाइन/किओस्क पर आवेदनों से सशुल्क प्रकरण दायर करने की कार्यवाही दिसम्बर,**2023** प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगी। तब तक सभी कार्यालय स्वयं आवेदन पूर्वत प्राप्त कर कंप्यूटर के माध्यम से पोर्टल पर दर्ज करेंगे। यह कार्यवाही तत्काल प्रारंभ होगी। इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर/लिपिक/श्रम निरीक्षक आदि को आदेशित करें।

अत: सभी विभागीय कार्यालय पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं में उक्तानुसार कार्यवाही प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उक्तानुसार

(सचिन सिन्हा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, श्रम विभाग

क्र./..2903..
भोपाल, दिनांक 03/11/2023

प्रतिलिपि:-

1. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर,
2. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल,
3. सचिव, म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल,भोपाल,
4. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मंडल, भोपाल
5. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र., इंदौर
6. बिजनेस हेड, एम.पी.ऑनलाइन,म.प्र., भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, श्रम विभाग

S. No.	विषय	अधिनियम	धारा
1	सेवा पृथककीकरण हेतु अपील	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	धारा 12
		म.प्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	धारा 58(2)
		बीड़ी तथा सिगार कामगार (नियोजन शर्ते) अधिनियम, 1966	धारा 31(2)
2	अप्राप्त वेतन का दावा	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	धारा 15(2)
		न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	धारा 20(2)
3	असमान वेतन के विरूध्द दावा	समान परिश्रमिक अधिनियम 1976	धारा 7(2)
4	समझौता / अधिनिर्णय के पालन के संबंध में दावों की वसूली हेतु आवेदन	औधोगिक विवाद अधिनियम,1947	धारा 33C(1)
5	ग्रेच्युटी का भुगतान न करना	उपादान भुगतान अधिनियम,1972	धारा 7(4)
6a	CESS (10,00,000 Lakhs to 10 Crore)	BOCW Cess Act, 1996	धारा 5
6b	CESS (10,00,00,001 to 50 Crores)	BOCW Cess Act, 1996	धारा 5
6c	CESS (50,00,00,001 या उससे अधिक)	BOCW Cess Act, 1996	धारा 5
	CESS अपील	BOCW Cess Act, 1996	Section 11
7	मांग पत्र	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	धारा 12
8	अन्य आवेदन	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	धारा 12
9	औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कामबंदी /लेऑफ की अनुमित हेतु आवेदन।	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	धारा 25M
10	औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत छटनी/Retrenchment की अनुमति हेतु आवेदन	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	धारा 25N
11	औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन अभिस्वीकृती	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	धारा 34
12	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत विवाद संबंधी आवेदन।	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960	धारा 39
13	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत मांग पत्र संबंधी आवेदन।	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960	धारा 40
14	पत्रकार के संबंध में दावा प्रस्तुतीकरण के आवेदन	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955	धारा 17(1)
15	पत्रकार के संबंध में दावा प्रस्तुतीकरण के आवेदन	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955	धारा 17(2)
16	ID अधिनियम के तहत समझौता	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	धारा 12
17	ID अधिनियम के तहत बंद करने की अनुमति	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	धारा 25 (O)
18	स्थाई आज्ञाओं में संशोधन हेतु	मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961	धारा 7
19	गर्भावस्था के कारण अनुपस्तिथि के दौरान पदच्युति के कारण	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम , 1961	धारा 12
20	मजदूरी में कटौती	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम , 1961	धारा 13